

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2018/ 2066

दिनांक : 14/12/18

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी

इण्डिया प्राईवेट लि.

जयपुर

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन एवं "स्वच्छ सर्वेक्षण-2018" के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार-प्रसार के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल साईट्स पर फ्लैक्स लगाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन एवं "स्वच्छ सर्वेक्षण-2018" के अन्तर्गत उपलब्ध राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में नीलामी से शेष रहे सभी होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्ट्रीज पर निर्धारित डिजाईन के अनुसार फ्लैक्स लगाये जाने है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश क्रमांक 23291-98 दिनांक 21.11.2017 द्वारा आगामी 12 माह के लिए आउटडोर मिडिया के लिये (होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फ्लैक्स लगाये जाने सहित) आपकी फर्म की दरें स्वीकृत की गई है। डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) द्वारा होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फ्लैक्स लगाने की दरें निम्नानुसार है:-

Description	Items	Rate of Flex (per sq. ft.)	Installation/ Mounting/ Pasting Charges of Flex	Total Rate (per sq. ft.)
Printing of Flex Solvent 4 Pass	Hoarding	11/-	4/-	15/-
	Unipole	11/-	4/-	15/-

नोट: उक्त दरों पर नियमानुसार GST पृथक से देय होगा।


आप उक्तानुसार डीआईपीआर दरों पर निम्न शर्तों के अध्यक्षीन संलग्न सूची एवं डिजाईन के अनुसार 07 दिवस में कार्य सम्पादित करें:-

शर्तें:-

1. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन की बताये गये स्थल (मौके पर उपलब्ध होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्ट्रीज/बस शेल्टर्स जहाँ है जैसी स्थिति में है) पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्लैक्स लगाना होगा।
2. होर्डिंग्स/यूनीपोल की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (20x10 व 40x10) वर्ग फीट की गणना की जावेगी।
3. फ्लैक्स पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

4. होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्द्रीज पर लगाये गये फलैक्स के भुगतान का बिल मय प्रत्येक होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्द्रीज की फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
5. जयपुर शहर में फर्म द्वारा लगाये जाने वाले होर्डिंग्स का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रतिनिधी द्वारा किया जाकर प्रमाणन किया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर लगाये जाने वाले होर्डिंग्स का सत्यापन एवं प्रमाणन Geotagging से प्राप्त सूचना/फोटोग्राफ के आधार पर किया जायेगा।
6. वास्तविक राशि की गणना फलैक्स लगाने के आधार पर होगी।
7. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा।
8. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
9. RTPP Act 2012 /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
10. विवाद की स्थिति में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
11. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

सलग्न:- विज्ञापन का डिजाईन।


  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 12/4/2018

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/ 2067-2273  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
9. सीएमएआर एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
जनसम्पर्क अधिकारी